



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1221**

**मद/FOR ITEM:**

**Rubber Compound FS-14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स न्युमालिगड रिफैनरी लिमिटेड, पंकग्रांट, जिला गोलघट, न्युमालिगड रिफैनरी प्रोजेक्ट, असाम - 785 699, द्वारा उत्पादित हाइड्रोक्राकर तथा मेरॉक्स का मिश्रण “विमानन टरबाइन फ्यूल” टाइप (के-50), एफ.ओ.एल प्राजेक्ट आफिस, सेमिलाक, द्वारा एचएएल बीसी, प्रशासन ब्लाक बेंगलोर-560 017 के समन्वय से परीक्षण सूची सं.एफओएल/टीएस/04/2001 दिनांक 17-10-2001 (सातवाँ रिविशन) के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह परिशिष्ट‘ए‘ में संलग्नक “वर्गरिकार्ड” की विवरण/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। यह विमानन टरबाइन फ्यूल भारतीय आर्मड फोर्सस द्वारा प्रचलित मिलिटरी वायुयान के उपयोग के लिए उपयुक्त पाया गया है।

*This is to certify that the “**Rubber Compound FS-14**” against USSR **Rubber Compound FS 1434**, developed and manufactured by M/s Filtrum Polymer Pvt. Ltd, 255/1 A/p, Village Hinjawadi, Taluka – Mulshi, Dist.-Pune – 411 057, is hereby approved for production for fabrication of rubber parts for use in **MiG series aircraft**. It has been tested as per governing specification / test schedule No **TU5-38-005-1166-73/87 & SPEC/IND/NM/02**, in co-ordination with RCMA (Nashik). The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है । ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The provisional clearances issued to the product are superceded consequent to the issuance of this type approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India, and forwarding the test reports of all batches produced.*

4. यह वर्ग अनुमोदन **30 जून 2011** तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए एफ.ओ.एल प्राजेक्ट आफिस, सेमिलाक से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> June 2011 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Nasik), HAL (Nasik Division) Ojhar Township-422207 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/End : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1221

दिनांक/Date : 04<sup>th</sup> Aug 2006

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

(बी.एस.वेदप्रकाश /B.S.VEDAPRAKASH)

स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Ofgg. Chief Executive (Airworthiness)

3/8/06